

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
शांतिनाथ

वदमा

वा 6

विपक्षी

नातुडी

पत्रावली संख्या 36/2023 सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा
सूचनाएं जारी की गई

9.12.24

पत्रावली पत्र हुई वादी अधिवक्ता अद्वय शर्मा वादी को धमकी लगाकर वादी वाबजूद इस्तेफा छोड़ उपस्थित नहीं होने से जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद चलाना नहीं चाहता है।

अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी - अदम पैरवी में खरिज किया जाता है निर्णय जरे इमलास खुदाया गया।

प्रकरण फौजदारी नुमांर लेकर नाम्बर से

कम है।

(रियासबी)

DAS